न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेंट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-1152 / 2004 संस्थित दिनांक—11.03.2002 फाईलिंग क.234503000122002

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा, आरक्षी केन्द्र जिला-बालाघाट (म.प्र.) अभियोजन

विरुद्ध //

1-नवलसिंह पिता चमरूसिंह गोंड, उम्र-62 वर्ष, निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

2-भोला पिता नवलसिंह गोंड, उम्र-35 वर्ष, निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

AN SUNTA TO SUNTAN SUNT 3-उजियारसिंह पिता महासिंह गोंड, उम्र-48 वर्ष, निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

4-हिरनसिंह पिता बल्देवसिंह गोंड,(फौत) निवासी–ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

5-अशोक पिता बलदेव सिंह, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट(म.प्र.)

6-भरतसिंह पिता बिरनसिंह गोंड, उम्र-60 वर्ष निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

7-हरिप्रसाद पिता अमृतसिंह गोंड, (फौत) निवासी-ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

8—गौतम पिता अमरूसिंह गोंड, उम्र—35 वर्ष, निवासी—ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

9—भवनकुमार पिता मोहेलाल पंवार, उम्र—45 वर्ष, निवासी—ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.)

10—प्रतापसिंह मेरावी पिता बोहरन सिंह, उम्र—46 वर्ष, निवासी—ग्राम बलगांव, थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट(म.प्र.) — — — — —

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-07/12/2015 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी नवलिसंह व भवन के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9 सहपित धारा—51 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—21.12.2001 के एक माह पूर्व ग्राम बलगांव में नवलिसंह के खेत में वन्य प्राणी शेर का विद्युत करंट लगाकर अनुज्ञप्ति के बिना आखेट किया एवं सभी आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39 एवं सहपित धारा—51 के तहत आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर शिकार किये गए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित वन्य प्राणी शेर की हड्डी, नाखून, दांत जो कि शासकीय संपत्ति है, को बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—21.12. 2001 एक माह पूर्व आरोपी नवलिसंह के द्वारा ग्राम बलगांव स्थित अपने खेत में करंट फैलाकर शेर मारा गया और उसकी हड्डीयां और नाखून को अन्य लोगों को बांट दिया गया। उक्त घटना की सूचना मुखबिर से प्राप्त होने पर थाना प्रभारी मलाजखण्ड के द्वारा मौके पर हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण के साथ रवाना होकर मौके पर पहुंचकर आरोपी नवलिसंह से पूछताछ की गई, जिस पर उसने बताया कि उसने आरोपी भवनकुमार के बताए अनुसार अपने धान के खेत में बिजली करंट का तार फैलाकर एक शेर को मार दिया था, जिसे बाद में सभी आरोपीगण के साथ मिलकर गाड़कर शेर को

बाद में निकालकर उसकी हड्डीयां, नाखून निकालकर आपस में बांट लिये तथा शेर की खाल व मांस को आरोपी नवलिसंह के घर के पीछे जला दिया। उक्त के संबंध में अन्य आरोपीगण से भी पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर पृथक—पृथक मेमो लेख कराकर गवाहों के समक्ष शेर की हड्डीयां, नाखून व छुरी जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर देहाती नालसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना वापस आकर असल नंबर पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—125/2001, धारा—9, 49 बी, 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा बनाया गया, गवाहों के कथन लिये गये तथा वन्य जीव संस्थान देहरादून को जप्तशुदा संपत्ति का परीक्षण हेतु भेजा गया। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी नवलसिंह व भवन के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9 सहपिटत धारा—51 एवं सभी आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39 सहपिटत धारा—51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.स के प्रावधान अंतर्गत अभियुक्त कथन में अपराध अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त कर प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1. क्या आरोपी नवलसिंह व भवन ने दिनांक—21.12.2001 के एक माह पूर्व ग्राम बलगांव में नवलसिंह के खेत में वन्य प्राणी शेर का विद्युत करंट लगाकर अनुज्ञप्ति के बिना आखेट किया ?
- 2. क्या आरोपी नवलसिंह, भवन, गौतम, भारतसिंह, भोला, प्रतापसिंह, उजियार, अशोक ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर शिकार किये गए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित वन्य प्राणी शेर की हड्डी, नाखून, दांत जो कि शासकीय संपत्ति है, को बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

सुनील गुप्ता (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—21.12.2001 को थाना मलाजखण्ड में पदस्थ था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण ने शेर को मारे है और उसके अवशेष को अफरा-तफरी कर रहे हैं। वह अपने सभी साथियों के साथ ग्राम बलगांव गया था, जहां नवलसिंह को बुलाकर पूछताछ किया था तो उसने शेर को मारना बताया था। आरोपी ने खेत में करंट लगा दिया था और अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर काटा था। उसने मौके पर देहाती नालसी प्रदर्श पी-32 दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटना के दूसरे दिन मौके पर जाकर मौकानक्शा प्रदर्श पी-33 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी नवलसिंह का मेमोरेण्डम कथन साक्षियों के समक्ष लेख किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने करंट से शेर को मारा है। मरे हुए शेर को मिट्टी में गाड़ना बताया था। उन लोगों ने कुछ दिन बाद शेर की हड्डी और नाखून आपस में बांट लिये थे। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसने आरोपी भोला, उजियारसिंह, हिरनसिंह, अशोक, भरतसिंह, हरिप्रसाद, गौतम, भवनसिंह के बताए अनुसार उनका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-2 लगायत प्रदर्श पी-9 लेख किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी नवलसिंह ने बिजली करंट लगाया था, जिसमें फंस कर शेर मर गया था, जिसके नाखून व हड्डीयां उनके कब्जे से मिली थी।

6— उसने मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी नवलिसंह के पेश करने पर जी.आई तार, शेर के पंजे, नाखून हड्डी जप्त कर व उसके बताए अनुसार स्थान से शेर की हड्डीयां व छोटे टुकड़े जप्त कर जप्तीपंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी—10 व प्रदर्श पी—20 तैयार किया था। उसने आरोपी भोला, उजियारिसंह, हिरनिसंह, अशोक, भरत, हिरप्रसाद, गौतम, भवन से शेर के नाखून, हड्डी व चाकू आदि जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—11 लगायत प्रदर्श पी—19 तैयार किया था। उसने सभी आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—21 लगायत प्रदर्श पी—30 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। तलाशी पत्रक प्रदर्श पी—21 तैयार कर साक्षीगण के कथन लेख किया था। उसने सभी आरोपीगण के विरुद्ध देहाती नालसी कर असल कायमी प्रदर्श पी—33 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से संचालक राजीव संस्थान देहरादून को वन्य प्राणी के अवयव टेस्ट हेतु भेजा

था।

7— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि जब वह जांच पड़ताल कर रहा था तो मौके पर गांव के काफी लोग थे। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह स्वतंत्र साक्षी को अपने साथ लेकर गया था, इसलिए मौके पर अन्य साक्षीगण से हस्ताक्षर नहीं कराए थे। उसने वन्य प्राणी की हड्डी को जांच के लिए भेजा था। वह नहीं बता सकता कि जप्ती किस जानवर की थी। इस प्रकार साक्षी अपनी साक्ष्य में कथित जप्तशुदा वन्य प्राणी शेर की हड्डी होने के संबंध में स्थिर नहीं रहा है। यह स्वामाविक है कि पुलिस अधिकारी वन्य प्राणी की हड्डी या नाखून की पहचान या शिनाख्ती के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी नहीं होता है। अभियोजन की ओर से कथित वन्य प्राणी शेर की हड्डी व नाखून के संबंध में किसी विशेषज्ञ साक्षी को पेश कर सबूती नहीं कराई गई है और न ही प्रकरण में जांच व परीक्षण रिपोर्ट पेश है।

प्रधान आरक्षक धीरेन्द्र सिंह (अ.सा.र) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक-21.12.2001 को कोतवाली बालाघाट में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे गांववालों से बालाघाट में सूचना मिली थी कि ग्राम बलगांव में नवलसिंह ने बिजली करंट से शेर को मारा है। उक्त सूचना के आधार पर वह थाना प्रभारी मलाजखण्ड व शेष स्टॉफ के साथ ग्राम बलगांव गया था। उनके साथ तीन-चार गवाह भी थे, जिनके नाम उसे याद नहीं है। थाना प्रभारी गुप्ता साहब ने नवलसिंह से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने बिजली करंट से शेर को मारा था और मारने के बाद उसने व गांव के 7-8 लोगों ने शेर को गड़ढ़े में गाड़ दिए थे। उस समय नवलसिंह ने अपने साथियों के नाम बताए थे, किन्तु आज उसे नाम याद नहीं है। शेर को मारने के बाद गड़ाकर निकाले थे और जला दिए थे और उसके नाखून, हड्डी व खाल निकालकर शेष मांस को गांव के खेत में जलाए थे। आरोपीगण ने हड्डी, नाखून को आपस में बांट कर घर ले गए थे। थाना प्रभारी द्वारा नवलसिंह का मेमोरेण्डम कथन लिये गए थे। मेमोरेण्डम कथन के अनुसार आरोपी नवलसिंह के घर से शेर की हड्डी, नाखून व बिजली का तार जप्त किया था। उसके बाद अन्य आरोपीगण से जप्ड़ा जप्त कराए थे। आरोपी प्रतापसिंह गांव से फरार हो गया था। उसे याद नहीं की पवनकुमार से उसके समक्ष पूछताछ किये थे या नहीं। आरोपीगण से कुछ को गिरफ्तार कर थाना मलाजखण्ड लाए थे।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह जांच स्थल पर पुलिसवाले की हैसियत से मौजूद था और दरोगा साहब की मदद कर रहा था। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में केवल मेमोरेण्डम कार्यवाही का मुख्य रूप से समर्थन किया है, किन्तु जप्ती कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किया है और न ही यह साक्षी जप्ती का पंच साक्षी है। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल यह प्रकट होता है कि उसने अपने विष्ठ पुलिस अधिकारी की कार्यवाही का विभागीय साक्षी के रूप में समर्थन मात्र किया है, किन्तु उसके द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से उसके कथन स्वतंत्र साक्षी के रूप में ग्राह्य नहीं किये जा सकते हैं।

खेलचंद पटले (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह 10-दिनांक-21.12.2001 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। वह आरोपी प्रतापसिंह को जानता है, शेष आरोपीगण को नहीं जानता। उस समय थाना प्रभारी सुनील गुप्ता थे। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बलगांव में शेर को बिजली करंट से मारा गया है। फिर वह और थाने का स्टॉफ व बालाघाट का स्टॉफ ग्राम बलगांव आए थे और सुबह 7–8 बजे, ग्राम बलगांव गए थे। वहां पर नवलसिंह से पूछताछ करने पर उसने अपने 8-9 साथियों के नाम बताए थे, जिनके नाम उसे याद नहीं होने से बता नहीं पा रहा है। नवलसिंह ने अपने साथियों द्वारा शेर को करंट से मारने की बात बताई थी। शेर की हड्डी किस प्रकार जप्त हुई उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी बताया कि किससे क्या जप्त हुआ उसे याद नहीं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन मामलें का समर्थन करते हुए उसके वरिष्ठ अधिकारी थाना प्रभारी के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन तो किया है, किन्तु यह भी बताया है कि किससे क्या जप्त हुआ था, उसे याद नहीं। साक्षी ने अलग–अलग आरोपियों से जप्त हुई सामग्रीयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।

11— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह घटना के समय ग्राम बलगांव का सरपंच था तथा वह आरोपीगण को नहीं पहचानता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके सामने किस आरोपी से क्या सामान जप्त हुआ था, वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया है।

- 12— प्रधान आरक्षक सखाराम (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—27.02.2002 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को रमेश जैतवार के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था। उसने अपने मन से कुछ जोड़ा या घटाया नहीं था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि वह मौके पर हमराह साथ नहीं गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस समय उसने बयान लिया था, उस समय उसके पास केस डायरी नहीं थी। साक्षी ने केवल मामलें में गवाहों के कथन लेख करने की पुष्टि की है, किन्तु जिन साक्षीगण के कथन उसने लेख किया जाना बताया है, उक्त साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन का समर्थन न करने से साक्षी के कथन का महत्व नहीं रह जाता।
- 13— नत्थूलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपीगण से कोई शेर की हड्डी वगैरह जप्त नहीं किया गया था और न ही उसके सामने आरोपीगण से बिजली के वॉयर, शेर के नाखून जप्त किये गए थे। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—10 से लगायत प्रदर्श पी—20 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने आरोपीगण को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। प्रदर्श पी—21 से लगायत प्रदर्श पी—29 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही उसे कोई जानकारी है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किसी भी मेमोरेण्डम कार्यवाही व जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने दस्तावेजों पर थाने में हस्ताक्षर किया था और उस समय आरोपीगण उपस्थित नहीं थे। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी होते हुए भी जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।
- 14— चैनलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि घटना करीब तीन वर्ष पुरानी मलाजखण्ड पान ठेले की 10—11 बजे की है। वह पान दुकान में बैठा था, उस समय पुलिसवाले आए थे। वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह नत्थूदास व थानेदार के साथ बलगांव नहीं गया था और न ही उसके समक्ष आरोपीगण से शेर का चमड़ा, नाखून, हड्डीयां और विद्युत वॉयर जप्त नहीं किया गया था। पुलिस ने

आरोपीगण से कोई पूछताछ नहीं किया था। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—9 पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—10 लगायत प्रदर्श पी—20 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण की गिरफ्तारी भी नहीं किया था, किन्तु गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—21 से लगायत प्रदर्श पी—29 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने पुलिस अधिकारी द्वारा तैयार किसी भी मेमोरेण्डम कार्यवाही व जप्ती कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने मेमोरेण्डम व जप्ती कार्यवाही के पंच साक्षी होते हुए भी जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई किसी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

- 15— एंथोनी फिलीप (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि उसकी मलाजखण्ड शॉपिंग कॉम्पलेक्स में शॉपिंग कॉम्पलेक्स में एंथनी फोटो स्टुडियो नामक दुकान है। उसके द्वारा पुलिस थाना मलाजखण्ड के कहे जाने पर ग्राम बलगांव जाकर घटनास्थल से फोटोग्राफ लिया था, जो आर्टिकल ए लगायत एफ है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में केवल प्रकरण में संलग्न फोटोग्राफ लेने का समर्थन किया है, किन्तु साक्षी ने घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। साक्षी के द्वारा लिये गए कथित फोटोग्राफ देखने से भी केवल एक जले हुए स्थान दिखाई देना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं रह जाता।
- 16— परसराम (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह आरोपी प्रताप के घर नहीं गया था। मकान तलाशी पंचनामा प्रदर्श पी—31 में उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस के कहने पर कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया था। साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता।
- 17— रमेश जैतवार (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह वह दिनांक—21.12.2001 को टायगर सेल जिला बालाघाट में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। धीरेन्द्रसिंह के साथ वह मलाजखण्ड आया था। थाना प्रभारी मलाजखण्ड को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बलगांव में शेर का शिकार हुआ है। वह मौके पर थाना प्रभारी के साथ पहुंचा था, जहां आरोपीगण से जप्ती की कार्यवाही की गई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना पुरानी होने से वह आज आरोपीगण को नहीं पहचान सकता। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें

को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

18— राजकुमार हिरकने (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—21.12.2001 को मलाजखण्ड में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उस समय सुनील गुप्ता उनके थाना प्रभारी था। शेर के शिकार के बारे में सूचना प्राप्त होने पर वह तथा उसके थाना प्रभारी एवं अन्य स्टाफ गए थे। वहां पर हड्डी के टुकड़े जप्त किये थे। इसके अलावा उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

19— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि प्रकरण में पुलिस अधिकारी के द्वारा कथित मुखबिर सूचना के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रकट किया है, किन्तु उक्त सूचना के आधार पर कोई रोजनामचा सान्हा तैयार किया जाना अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने अपनी साक्ष्य में नहीं बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही का भी जप्ती के साक्षी के रूप में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही का किसी भी स्वतंत्र साक्षी से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। जप्ती अधिकारी ने कार्यवाही के पूर्व रोजनामचा सान्हा की प्रति पेश नहीं किया और न ही रोजनामचा सान्हा दर्ज किये जाने के संबंध में किसी साक्षी ने बताया है। इस प्रकार जप्ती अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही में संदेहास्पद परिस्थितियां प्रकट होती है, जिन्हें अभियोजन की ओर से दूर नहीं किया गया है।

20— अभियोजन ने कथित जप्तशुदा संपत्ति तथा कथित वन्यप्राणी शेर के नाखून व हड्डीयों की शिनाख्ती किसी भी वन अधिकारी या चिकित्सक से नहीं कराया है। कथित जप्तशुदा सामग्री की परीक्षण रिपोर्ट भी प्रकरण में प्रमाणित नहीं किया है तथा किसी साक्षी ने भी विशेषज्ञ के रूप में कथित सामग्री की पहचान नहीं की है। महत्वपूर्ण साक्षीगण अपनी साक्ष्य में कथिज जप्तशुदा वन्य प्राणी शेर की हड्डी होने के संबंध में स्थिर नहीं रहें है। यह स्वाभाविक है कि पुलिस अधिकारी वन्य प्राणी की हड्डी या नाखून की पहचान या शिनाख्ती के संबंध में विशेषज्ञ साक्षी नहीं होता है। अभियोजन की ओर से कथित वन्य प्राणी शेर की हड्डी व नाखून के संबंध में किसी विशेषज्ञ साक्षी को पेश कर सबूती नहीं कराई गई है और न ही प्रकरण में जांच व परीक्षण रिपोर्ट पेश है। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता कि कथित जप्तशुदा नाखून व हड्डीयां वन्य प्राणी शेर की ही थी।

21— जप्ती अधिकारी के द्वारा कथित मेमोरेण्डम के आधार पर कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है, जबिक उसी मेमोरेण्डम के आधार पर सभी आरोपीगण के घर से अलग—अलग जप्ती किया जाना भी बताया है। आरोपीगण को कथित वन्य प्राणी शेर के शिकार करते हुए किसी भी साक्षी के द्वारा देखा नहीं गया है और न ही उनके आधिपत्य से कथित सामग्री की जप्ती के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन किया है। स्वयं विभागीय साक्षी के रूप में प्रस्तुत प्रधान आरक्षक व अन्य साक्षीगण ने आरोपीगण की स्पष्ट पहचान नहीं की है और न ही उनके वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जप्ती अधिकारी के रूप में की गई कार्यवाही का स्पष्ट समर्थन किया गया है। जप्ती अधिकारी की कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित न होने से तथा पुलिस अधिकारी के रूप में कथित मेमोरेण्डम में अपराध की स्वीकारोक्ति सुसंगत एवं ग्राह्य न किये जाने के कारण आरोपीगण के विरुद्ध की गई कार्यवाही संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है और न ही उक्त कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण की दोषसिद्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

22— प्रकरण में आरोपीगण से कथित वन्य प्राणी शेर की हड्डी व नाखून की जप्ती विधिवत् प्रमाणित न होने से वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—57 के अंतर्गत यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि कथित जप्तशुदा संपत्ति आरोपीगण के अवैधानिक कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में रही है। अभियोजन ने यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि जप्तशुदा कथित हड्डी व नाखून वन्यप्राणी शेर के ही थे। उक्त के अभाव में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोजन का मामला पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विश्लेषण उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी नवलिसंह व भवन ने दिनांक—21.12.2001 के एक माह पूर्व ग्राम बलगांव में नवलिसंह के खेत में वन्य प्राणी शेर का विद्युत करंट लगाकर अनुज्ञप्ति के बिना आखेट किया एवं सभी आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर शिकार किये गए वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में वर्णित वन्य प्राणी शेर की हड्डी, नाखून, दांत जो कि शासकीय संपत्ति है, को बगैर अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखा। अतएव आरोपी नवलिसंह व भवन को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—9 सहपठित धारा—51 एवं सभी आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा—39 एवं सहपठित धारा—51 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

24— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

25— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से प्राप्त परीक्षणशुदा कुल 9 सीलबंद पैकेट शेर के नाखून व हड्डीयां अपील अविध पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक बालाघाट को सुपुर्द किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

ALIMANA PRESIDENT AND ALIMAN PROPERTY OF THE P

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट